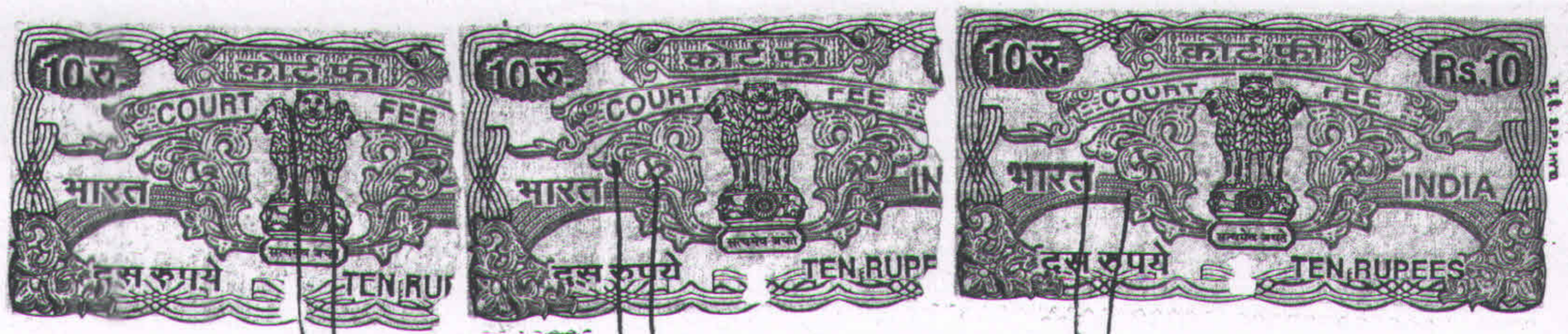

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल भोपाल बेंच मध्यप्रदेश

नि0 प्र0 क्र0.- R. 1534-PBR/14

1. नंदलाल आयु लगभग 70 वर्ष,

2. बिहारीलाल आयु लगभग 65 वर्ष,
दोनों पुत्रगण स्व0 श्री रामलाल
निवासीगण ग्राम बरखेड़ीकलां,
तहसील-हुजूर जिला-भोपाल (म0प्र0) ....
निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. सोदान सिंह आयु वयस्क,

2. घनश्याम आयु वयस्क,
दोनों पुत्रगण स्व0 श्री कैलाश
निवासीगण-ग्राम बरखेड़ीकलां,
तहसील-हुजूर जिला भोपाल म0प्र0 ....
अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

श्री अरुण श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 13-5-14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
13-5-14

न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजधानी परियोजना कार्यालय भोपाल द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक-7/अपील/13-14 सोदान सिंह व अन्य विरूद्ध नंदलाल व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 07.05.2014 से दुखित होकर निगरानीकर्तागण निम्न तथ्य एवं आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी आवेदन प्रस्तुत कर रहे है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1534–पीबीआर/2014 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–5–2014	आवेदकगण एवं केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 7–5–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि में से 3.80 एकड़ भूमि अनावेदकगण द्वारा सुमित सिंघल एवं संजय गोयल को विक्रय कर दी गई है, और उक्त भूमि पर उनके नाम भी दर्ज हो गये हैं, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील में उन्हें पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकार नहीं बनाने में अवैधानिकता की गई है । उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य करने का अनुरोध किया गया । 2/ प्रत्युत्तर मे केवियटकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस भूमि का विक्रय सुमित सिंघल एवं संजय गोयल को किया गया है, वह भूमि प्रश्नाधीन भूमि में से पृथक है, और विवादित भूमि का विक्रय नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 20 (2) में उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है, जो मूल न्यायालय में पक्षकार थे, और अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है	

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 20 (2) का अवलोकन किया जाये, जिसके तहत सुमित सिंघल एवं संजय गोयल को पक्षकार बनाया जा सकता है ।

3/ अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से 2 आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे एक आवेदन पत्र व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया । दूसरा आवेदन पत्र व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 20 (2) सहपठित धारा 151 एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र आलोच्य आदेश से निरस्त किया गया, इस संबंध में उभय पक्ष की ओर से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । जहां तक व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 20 (2) सहपठित धारा 151 एवं संहिता की धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र का प्रश्न है । प्रथमतः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 20 (2) के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने का प्रावधान है, जो विचारण न्यायालय में पक्षकार थे, परन्तु उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है, केता को पक्षकार बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, और न ही व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 तथा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत केताओं को पक्षकार बनाया जा सकता है । इसके अतिरिक्त यदि केता सुमित सिंघल एवं संजय गोयल

हितबद्ध पक्षकार हैं तो वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्षकार बन सकते हैं । इसी आशय का निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में निकाला गया है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के दोनों आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष

Noted
Hearing
31/5/14